आयोग का अध्ययन दौरा एवं भ्रमण

मान. श्री देवलाल दुग्गा, अध्यक्ष (केबिनेट मंत्री दर्जा) का सरगुजा जिले में प्रवास दिनांक– 9.5.2011 से 13.5.2011 तक

छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का दल दिनांक– 9.5.2011 से 13.5.2011 तक सरगुजा जिले के प्रवास पर रहा । प्रवास अवधि में मान. अध्यक्ष ने जिले में शासन द्वारा आदिवासियों के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये ।

दिनांक– 9.5.2011:– मान. अध्यक्ष महोदय ने ग्राम सिल्का विकासखण्ड– बतौली में आदिवासी बी.पी.एल.परिवार की महिलाओं हेतु सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र का अवलोकन किया । महिला प्रशिक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 10 लोगों को सिलाई का प्रशिक्षण 1 माह तक दिया जा रहा है । जिसमें प्रशिक्षण पश्चात् सिलाई मशीन हितग्राहियों को वितरित किया जाना है । उक्त प्रशिक्षण का आयोजन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बतौली के द्वारा किया जा रहा है । प्रशिक्षु महिलाओं को दोपहर का भोजन दिया जाता है । मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त प्रशिक्षण अवधि 1 माह से बढ़ाकर 3 माह करने हेतु प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये ।

ग्राम– बेलकोटा विकासखण्ड– बतौली में कृषि विभाग द्वारा नलकूप खनन एवं पंप प्रदाय योजनांतर्गत श्री मैनेजर उरांव, चमरा उरांव के खेत का अवलोकन किया गया । हितग्राही द्वारा बताया गया कि कृषि विभाग द्वारा आदिवासी समूह को सब्जी एवं फसल की खेती को प्रोत्साहित करने हेतु उक्त पंप प्रदाय किया गया है । जिसमें प्याज, गन्ना, टमाटर, गेहूं एवं धान की खेती करते है । मान. अध्यक्ष द्वारा मौके पर उपस्थित उद्यान विभाग के श्री लीलाधर पैंकरा, ए.आर.सी.ओ. आवश्यकतानुसार खाद एवं बीज का वितरण उक्त किसान को प्रदाय करने के निर्देश दिये गये । साथ ही कृषि विभाग के साथ तालमेल कर हितग्राहियों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाने संबंधी निर्देश भी दिये गये । कटहल, मूनगा सब्जी की खेती हेतु अधिकाधिक हितग्राहियों को प्रोत्साहित करने हेतु कहा गया ।

तहसील कार्यालय बतौली का मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया । मौके पर उपस्थित श्री विगफिरदूश पिता श्री पंडरा ग्राम– मांसाझार से मान. अध्यक्ष द्वारा पूछताछ करने पर अवगत कराया गया कि वे लोग चार भाई हैं तथा पटवारी द्वारा बंटवारा कार्य नहीं किया जा रहा है । मान. अध्यक्ष द्वारा तहसीलदार बतौली को प्रकरण के त्वरित निराकरण के निर्देश दिये गये । इसी प्रकार श्री काशी राम पिता श्री रामाधार ग्राम– सरमना द्वारा अपने भूमि का सीमांकन करने हेतु 1 वर्ष पूर्व आवेदन तहसील कार्यालय बतौली में प्रस्तुत किया गया था । किन्तु आज पर्यन्त सीमांकन नही होना बताया गया। मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रकरण के त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिये गये । श्री डोमनराम पिता श्री गिरिजा प्रसाद ग्राम– गीदम द्वारा अवगत कराया गया कि भूमि बंटवारे का पट्टा चार वर्षो से नहीं मिला है । संबंधित पटवारी द्वारा कार्य नही किया जा रहा है । मान. अध्यक्ष द्वारा बारिश से पूर्व उक्त कार्य संपन्न कर आयोग को सूचित करने के निर्देश तहसीलदार बतौली को दिये गये ।

<u>कम्प्युटर प्रशिक्षणः–</u>

मान. अध्यक्ष महोदय को जनप्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि विकासखण्ड– मैनपाट में ग्राम– राजापुर में शासन द्वारा 40 बच्चों के कम्प्युटर प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है । परन्तु केवल तीन बच्चे ही आते है शेष बच्चों की उपस्थिति लगाकर राशि का दुरूपयोग किया जाता है । साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि संबंधित एन.जी.ओ. द्वारा सर्टिफिकेट प्रदाय करने के नाम पर प्रशिक्षु छात्र छात्राओं से रूपये 1800/– लिया जा रहा है । मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर महोदय को उक्त शिकायत के संबंध में अवगत कराते हुए जांच हेतु निर्देशित किया गया ।

<u>बाल्को माइन्स मैनपाट का निरीक्षणः–</u>

मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा बाल्को माइन्स मैनपाट का आकस्मिक निरीक्षण किया गया । श्री जवाहित पिता श्री अमरू जाति खैरवार द्वारा अवगत कराया गया कि वह विगत 15 वर्षो से खदान में कार्यरत् है । किन्तु मजदूरी कार्ड नहीं बना है । लगभग 40–50 मजदूर कड़ी धूप में कार्य करते दिखाई दिये जिसमें आधी महिलाएं थी । कुछ मजदूरों के सिर में हेलमेट थे किन्तु लगभग सभी मजदूरों के पैर में जूते नहीं थे । श्री विजय पिता श्री धनसाय गोंड़, ग्राम– अकलसरा द्वारा बताया गया कि उनका पी.एफ. नहीं

कटता । संगीता लकड़ा, 20 वर्ष, पति श्री सुकलू एक्का, फिलिस्ता लकड़ा 22 वर्ष पति श्री मनसे दी डांग, फिरिस्का बाई 45 वर्ष पति श्री बलबीर, देवकुमारी पति श्री रामसांगा गोंड़ आदि द्वारा अवगत कराया गया कि वे सभी ट्रक में लोडिंग का कार्य करती है किन्तु उनका पी.एफ. नहीं कटता । पंद्रह दिन में 1500/– रूपये प्राप्त होना बताया गया । श्रीमती रीताबाई पति श्री सुखराम उरांव ग्राम– कुदारीडीह, एटक यूनियन अध्यक्ष ने बताया कि बाल्को के उक्त खदान में प्राथमिक उपचार एवं बच्चों हेतु क्रेच की सुविधा नहीं है । पीने के पानी, बच्चों को खेलने हेतु खिलौने, आया की सुविधा भी नहीं है । खुदाई के दौरान पत्थर गिरने की संभावना होती है किन्तु सुरक्षा व्यवस्था की कमी है । ठेकेदार श्री टीनू सिंह निवासी गांधी चौक अंबिकापुर (जी.एन.कन्स्ट्रक्शन) एवं बाल्को के ए.जी.एम. श्री मनमोहन चांबुला द्वारा इस संबंध में ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया गया । माइन्स में कार्यरत मजदूरों की झोपड़ी का भी मुआयना किया गया। घर की छते नीची है बिजली की व्यवस्था नहीं है । बरसात में छत से पानी टपकता है एवं घरों में पानी व जहरीले सांप बिच्छू घूस जाते है जिससे कई लोगों की मृत्यु होना बताया गया । बाल्को प्रबंधन द्वारा बच्चों के पढ़ाई हेतु स्कूल की व्यवस्था नहीं की गई है । जिससे अधिकांश आदिवासी बच्चे पढ़ नहीं पाते ।

मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र ग्राम कुदारीडीह का आकस्मिक निरीक्षण किया गया । जनप्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त आंगनबाड़ी केन्द्र को बाल्को प्रबंधन द्वारा गोद लेकर कुपोषण से मुक्त कर समस्त सुविधायें मुहैया कराने की बात कही गई थी किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं किया गया है ।

<u>ग्रम– मड़ियाकोना विकासखण्ड– मैनपाट में तालाब निर्माणः–</u>

मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा ग्राम– मड़ियाकोना विकासखण्ड– मैनपाट में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2008–09 में रूपये 21.56 लाख की लागत से लघुत्तम सिंचाई हेतु बनाये गये तालाब का निरीक्षण किया गया । उक्त तालाब लागत के हिसाब से अत्यंत छोटा है । साथ ही यह भी ज्ञात हुआ कि भूमि संरक्षण विभाग द्वारा उतने ही लागत का एक अन्य तालाब उक्त ग्राम में बनाया गया है किन्तु भौतिक रूप से दूसरे तालाब का अस्तित्व ज्ञात नहीं हो पाया । ग्रामीणों द्वारा यह भी बताया गया कि तालाब में बरसात का पानी नहीं रूकता, उक्त अनियमितता पर गंभीरता पूर्वक कार्यवाही के निर्देश दिए गए ।

<u>परियोजना मद के कार्यो का निरीक्षणः–</u>

मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक–10.5.2011 को ग्राम– मुसाखोल (असकरा) में पहाड़ी कोरबा समुदाय के हितग्राही सहरू, बदौरी, छोटे नोहर, भुलेश्वरी आदि से भेंट कर जानकारी ली गई । हितग्राहियों द्वारा बताया गया कि उन्हें परियोजना मद से स्प्रे मशीन धान, बीज, खाद आदि का वितरण किया गया है । ग्राम– मुसाखोल में आंगनबाड़ी केन्द्र चार वर्ष पूर्व स्वीकृत हुआ था किन्तु निर्माण आजपर्यन्त नहीं होना बताया गया । ग्राम पंचायत कुबीया के सरपंच एवं सचिव द्वारा पैसे की दुरूपयोग की बात भी कही गई । श्रीमती बदौरी पति सहरू द्वारा इंदिरा आवास गृह हेतु 20 हजार रूपये मिलना बताया गया । 15 हजार बाकी है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मैनपाट को निर्देशित किया गया कि पहाड़ी कोरबा जनजाति के व्यक्तियों हेतु इंदिरा आवास मकान बनाने की प्राथमिकता दी जावे । ग्राम– पुनिया विकासखण्ड– मैनपाट में हितग्राही राम विलास द्वारा परियोजना मद से डीजल पंप एवं जहरसाय द्वारा स्प्रे मशीन मिलना बताया गया ।

ग्राम– तुरना, विकासखण्ड– लखनपुर में आदिवासी सम्मेलन :–

मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा ग्राम– तुरना विकासखण्ड– लखनपुर में आदिवासी सम्मेलन को संबोधित करते हुए शासन द्वारा आदिवासियों के विकास एवं कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई । इस हेतु ग्रामीणों को ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत में जाकर शासकीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने की बात कही गई । मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुसूचित जनजाति आयोग की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु आयोग में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु सुझाव दिया गया। सम्मेलन में मान. श्री रामविचार नेताम मंत्री छ.ग.शासन, तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री कमलभान सिंह सहित अनेक आदिवासी जनप्रतिनिधि उपस्थित थे ।

दिनांक– 11.5.2011:–

मान. अध्यक्ष महोदय ने ग्राम– पम्पापुर, विकासखण्ड– प्रतापपुर के ग्रामीणों से भेंट कर उनकी समस्याओं से अवगत हुए । गांव में दुप्पीचौरा कोयला खदान के ट्रकों के आवा जाही होने के कारण गांव में प्रदूषण फैलता है । सड़कें खराब हो गई है । आदिवासियों की जमीन खदान में गई है उन्हें मुआवजा नही मिला है । मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा ग्रामीणों को कार्यवाही का आश्वासन दिया गया ।

ग्राम– केरता विकासखण्ड– प्रतापपुर में भगत पारा में शासकीय शाला भवन का निर्माण अधूरा बताया गया । निर्माण एजेन्सी सरपंच है । मान. अध्यक्ष द्वारा सरपंच को डेढ़ माह के भीतर कार्य पूरी करने का निर्देश दिया गया ।

ग्राम– मदन नगर विकासखण्ड– प्रतापपुर में आदिवासी हितग्राहियों द्वारा अवगत कराया गया कि कृषि विभाग द्वारा परियोजना मद से उन्हें लो लिफ्ट पंप दिया गया है । किन्तु कुआं में पानी सुख जाने के कारण सिंचाई में दिक्कत है । ग्रामीणों द्वारा नाला में चेक डेम बनाने की मांग की गई । जिस पर मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा मौके पर उपस्थित आर.ई.एस. के उपअभियंता को ग्रामीणों की मांग के अनुसार चेक डेम के प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिये गये । ग्राम– मदनपुर में उद्यानिकी विभाग द्वारा सब्जी बीज वितरण करना बताया गया ।

ग्राम– कनकपुर, तह.–प्रतापपुर के सरपंच श्रीमती अन्न कुमारी ने बताया कि 30 हितग्राहियों को परियोजना मद से 2 माह का शैक्षणिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है । कार्य एजेन्सी जनपद पंचायत प्रतापपुर है । हितग्राही मानिक चंद, रामसिंग आदि साइकिल सुधारने का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे । एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना सूरजपुर के हितग्राहियों की सूची ग्रामवार/योजनावार उपलब्ध नहीं कराई गई थी । लोगों को स्पष्ट ज्ञान प्रशिक्षण की योजनाओं के संबंध में नहीं है । इस ओर विशेष ध्यान देकर सूची आयोग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए साथ ही प्रशिक्षण उपरांत सामग्री भी लोगों को प्रदाय किया जाये ताकि आदिवासियों का जीवन स्तर ऊंचा हो सके ।

ग्राम– पम्पापुर, ग्राम– गणेशपुर तथा ग्राम– मदन नगर के ग्रामीणों द्वारा मान. अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि दो माह से ट्रान्सफार्मर खराब होने तथा लो वोल्टेज की समस्या के कारण ग्रामीणों की समस्त फसल खराब हो गई है तथा अकाल की स्थिति निर्मित हो गई है । ट्रान्सफार्मर सुधारने हेतु बिजली विभाग के समक्ष अनुरोध किया गया था किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई । मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा बिजली विभाग के श्री एस.पी.द्विवेदी, सहायक अभियंता एवं श्री आर.पी.सिंह उपअभियंता को आयोग कार्यालय में तलब करने के निर्देश दिये गये तथा इन किसानों की फसल क्षतिपूर्ति की राशि वापस लौटाने के आदेश दिए गए ।

ग्राम– अमनदोन तह.– प्रतापपुर में वर्ष 2008 से स्वीकृत स्टाप डेम अपूर्ण होना बताया गया । उक्त कार्य हेतु एजेन्सी आर.ई.एस विभाग है । उसी प्रकार ग्राम–

सिमरापुर, तह. प्रतापपुर में भी स्टाप डेम वर्ष 2007–08 से स्वीकृत है किन्तु कार्य अपूर्ण है । मौके पर रखे गिट्टी की गुणवत्ता सही नहीं देखी गई । निर्माण एजेन्सी आर.ई.एस. को एम. बी. रिकार्ड के साथ आयोग कार्यालय में तलब करने के निर्देश दिये गये ।

ग्राम– सिरसी, विकासखण्ड– सूरजपुर में आदिवासी सम्मेलनः–

ग्राम– भैयाथान में स्थापित हो रहे पावर प्लांट में आदिवासियों की अधिग्रहित की जाने वाली जमीन के मुआवजे एवं प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देने के विषय पर मान. अध्यक्ष द्वारा चर्चा की गई । भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप भूमिहीन हो रहे आदिवासियों को वैकल्पिक भूमि प्रदाय करने के संबंध में भी चर्चा की गई । इस अवसर पर क्षेत्र की विधायिका श्रीमती रजनी त्रिपाठी जी भी उपस्थित थी ।

एस.ई.सी.एल. प्रबंधन के साथ बैठकः–

दिनांक– 11.5.2011 को एस.ई.सी.एल.प्रबंधन के साथ मान. अध्यक्ष महोदय ने समीक्षा बैठक की । बैठक के दौरान माननीया श्रीमती रेणुका सिंह जी, विधायक प्रेम नगर एवं श्रीमती रजनी त्रिपाठी जी, विधायक, भंटगांव उपस्थित थी । प्रबंधन द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि 610 किसानों को मुआवजा व नौकरी देने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है । मान. अध्यक्ष द्वारा एस.ई.सी.एल.प्रबंधन को निर्देशित किया गया कि उक्त संबंध में प्रेषित प्रस्ताव एवं की गई कार्यवाही की जानकारी जिला प्रशासन एवं क्षेत्रीय विधायकों को दिया जावे साथ ही गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये गये । पर्यावरण तथा क्षेत्रीय विकास पंद्रह किलोमीटर के दायरे में किया जाना है । इस संबंध में शासन के निर्देशों के तहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये । एस.ई.सी.एल. प्रबंधन द्वारा किसानों के साथ कराये जा रहे गुण्डा गर्दी के विरूद्ध पुलिसिया कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

परियोजना स्तरीय समीक्षा बैठक–सूरजपुरः–

परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि छः विकासखण्डों मे छः क्लस्टर बनाये गये है प्रत्येक क्लस्टर में 12–13 गांव सम्मिलित है । मान. अध्यक्ष द्वारा हितग्राहियों एवं कार्यों की सूची क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों (विधायकों) से अनुमोदन कराकर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु कहा गया । प्रेम नगर में 20 लोगों को सुअर वितरण किया गया । प्रतापपुर में लाख उत्पादन हेतु पैसा वितरित किया गया। प्रेमनगर में नलकूप खनन

का कार्य किया गया । हितग्रहियों की सूची अप्राप्त मान. अध्यक्ष द्वारा हितग्राहियों का चयन यथा संभव बी.पी.एल. परिवार से करने तथा एक हितग्राही को एक ही अवसर देने कहा गया ताकि अन्य हितग्राहियो को भी अवसर मिल सके ।

ग्राम पंचायत गोपालपुर– परसापाराः– परियोजना मद से वर्ष 2008–09 में स्वीकृत स्टाप डेम रूपये 20 लाख में केवल पांच पीलर खड़ा है । लगभग 15 लाख खर्च होना बताया गया । उक्त स्टाप डेम खोखलिया नाला पर बनाया जा रहा है । उपसरपंच उपेन्द्र सिंह देव ने बताया कि उक्त कार्य आर.ई.एस. विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

प्रकरण पर आयोग में सुनवाई किया जाता है ।

जिला स्तरीय समीक्षा बैठकः–

जिला कलेक्टर, श्री जी.एस. धनंजय द्वारा आयोग का जिले में भ्रमण के संबंध में प्रकाश डाला गया । तत्पश्चात विभागवार समीक्षा की गई।

कृषि विभागः– क्लस्टर ग्राम से अनुसूचित जनजाति वर्ग के बी.पी.एल.हितग्राहियों की सूची चयनित कर परियोजना प्रशासक को भेजी जाती है । कार्य की स्वीकृति ग्राम सभा से लेना अनिवार्य होता है । साकम्बरी योजना अंतर्गत डीजल पंप, खाद्य बीज का वितरण किया गया है । वर्ष 2009–10 में ग्राम करंजी अंबिकापुर एवं ग्राम– बगुली लुण्ड्रा में आदिवासी राईस मिल स्वीकृत किया गया है किन्तु हितग्राहियों का नाम नहीं बताया गया । मान. अध्यक्ष परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि कार्यों की निगरानी एवं हितग्राहियों से प्रत्यक्ष भेंट कर कार्यों की प्रगति की जानकारी ली जावे । हितग्राहियों की सूची 10 जुलाई तक आयोग में उपलब्ध कराया जावे ।

उद्यानिकी विभागः– हितग्राहियों की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई । प्याज, आलू उत्पादन किया गया । परियोजना प्रशासक को निरीक्षण के निर्देश दिये गये । हितग्राहियों की सूची सभी परियोजना अधिकारी को अपने पास रखना चाहिए ।

वन विभागः– वन विभाग द्वारा पौधा रोपिणी के विषय में अवगत कराया गया मान. अध्यक्ष द्वारा बांस एवं पपीते के वृक्षारोपण के निर्देश दिये गये ।

पशुपालन विभागः– पशुपालन विभाग द्वारा बैठक में चाही गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई । उनको कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश कलेक्टर को दिया गया ।

सिचाई विभागः– जिले में आदिवासी उपयोजना मद अंतर्गत प्राप्त राशि के द्वारा कराये जा रहे कार्यों की पूर्णता के विषय में जानकारी दी गई । सिंचाई विभाग के ई.ई. को कार्यों की

जानकारी के साथ, आदिवासी लाभांवित सूची सहित आयोग में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए ।

एस.ई.सी.एल.:– मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा एस.ई.सी.एल. के अधिकारियों को भूअर्जन की प्रक्रिया में पेशा एक्ट के तहत कलेक्टर से समन्वय कर कार्यवाही के निर्देश दिये गये ।

कलेक्टर सरगुजा के द्वारा जाति प्रमाण पत्रों की समस्या के हल हेतु सार्थक प्रयास करने की जानकारी दी गई जिसके तहत आवेदकों के निवास ग्राम में एस.डी.एम. द्वारा स्वतः भेंटकर पंचनामा तथा उसके पूर्वजों की जानकारी उनके परिवारों के आधार पर जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने की जानकारी दी गई । जिस पर अध्यक्ष महोदय ने प्रसन्नत व्यक्त करते हुए की गई कार्यवाही की जानकारी आयोग में भेजने की सलाह दी ताकि इस अच्छे पहल का समूचे प्रदेश में आयोग के माध्यम से प्रचार– प्रसार करने जाति प्रमाण पत्र की समस्याओं का हल कराया जा सके । इस सद् प्रयास के लिए कलेक्टर सरगुजा के प्रयास की आयोग सराहना करता है ।

अंत में मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक को सम्बोधित करते हुए शासन की मंशा के अनुरूप हितग्राहियों का चयन कर उन्हें अधिकाधिक लाभान्वित करने के निर्देश दिये गये ।

सदस्य सचिव
छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति
आयोग रायपुर